भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1313

सोमवार, 08 दिसंबर, 2025/ 17 अग्रहायण, 1947 (शक)

कारखाना अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उल्लंघन

1313. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्रमिकों के केवल आठ घंटे कार्य करने एवं उनकी सेवाओं को नियमित करने हेतु पर्याप्त उपाय सुनिश्चित किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कारखाना अधिनियम एवं न्यूनतम मज़ूरी अधिनियम जैसे श्रम कानूनों के अंतर्गत आठ घंटे के कार्य दिवस एवं नियमित सेवाओं के प्रावधान लागू हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान एवं गुजरात से कारखाना अधिनियम एवं न्यूनतम मज़ूरी अधिनियम आदि के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थीं;और

(च) उनके विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य दशाएं (ओएसएच और डब्ल्यूसी) संहिता, 2020 और मजदूरी संहिता, 2019 दिनांक 21.11.2025 को लागू हो गए हैं। ओएसएच और डब्ल्यूसी संहिता, 2020 में एक दिन में 8 घंटे काम करने का प्रावधान है, जो सप्ताह में छः दिनों की अवधि में 48 घंटे होता है। इसके अलावा, संहिता में कामगारों के ओवरटाइम के लिए वेतन की दोगुनी दर से अतिरिक्त वेतन का भी प्रावधान है।

(घ) से (च): कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मुख्य कारखाना निरीक्षकों (सीआईएफ)/औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालयों (डीआईएसएच) के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में लागू किया गया है। सीआईएफ/डीआईएसएच को कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने पर कारखाने के ठेकेदार और प्रबंधक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अलावा, कारखाना अधिनियम, 1948 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को क्रमशः व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 और मजदूरी संहिता, 2019 में शामिल किया गया है।

****